

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
अक्षय जे. मेहता पुत्र जसवंतचन्द जाति महाजन  
निवासी फालना गांव तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2024/394  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
21/10 24	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1595, 1596 कुल खसरा 08 कुल रकबा 23.53 हैक्टर कुल लगान 280.08 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, खीमेल एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्दादाई  
(ओ. 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत साहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास श्री दिनेश विश्नीई, आर.ए.एस.

वादीगण  
अक्षय जे. मेहता पुत्र जसवंतचन्द जाति महाजन  
निवासी फालना गांव तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2024/  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार भिनजानिव मुद्दई व ..... भिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम खीमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1595, 1596 कुल खसरा 08 कुल रकबा 23.53 हैक्टर कुल लगान 280.08 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमावंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, खीमेल एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसाब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21/10/24 को जारी की गई।




दिनेश विश्नीई  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आपसी सहमति बंटवाडा

नजरी नक्शा  
ग्राम: खीमेल



Exc Court



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

जिल्हालवार (मू.अ.) बाली

पटवार (भू.अ.)  
तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)  
I.L.R. मोरमपुरा


Handwritten signatures: H. N. S. and Keopale Meher.

Handwritten signature: J. B. S. Jolly

आपसी सहमति बंटवाडा


नक्शा


खीमेल





Ex-court


सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली


  
तहसीलदार (मू.अ.) बाली


  
पटवारी (मू.अ.)  
पटवार माणव  
तहसील-बाली (राज.)

  
Taluka Officer

  
J. R. मोहनपुरा

  
Revenue Officer

  
Revenue Officer

  
Revenue Officer